न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 215/2019 (108/2019)
GCMS NO. : 2019/00096

–:: सायल ::–	बनाम	–:: गैरसायलान ::–
1. तुलछाराम पुत्र मोतीराम जाति सीरवी निवासी चावण्डियाकलां तहसील जैतारण।		1. जोगाराम पुत्र रामचन्द्र व उसके पुत्र रामलाल फौत के का.मु. 1/1. मांगीलाल पुत्र रामलाल 1/2. मल्लाराम पुत्र रामलाल 2. देदाराम पुत्र नंदाराम 3. पुखराज पुत्र नंदाराम फौत के का.मु. 3/1. राजुराम पुत्र पुखराज 3/2. सुरेश पुत्र पुखराज जातियान सीरवी निवासीगण बेरा मामासर चावण्डियाकलां तहसील जैतारण जिला–पाली। 4. तहसीलदार, जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 25/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 08/12/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम चावण्डियाकलां द्वितीय पटवार हल्का चावण्डियाकलां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 422 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 348/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। जिसमे सायल का सम्पूर्ण भूमि मे 1/3 हिस्से हिस्सा आता है तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर सायल काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि सायल एवं गैरसा[illegible] के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण [illegible] से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सा[illegible]ती दर्ज होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

होने से आये दिन गैरसायलान् सायल के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है तथा उक्त दोनो खसरान् भूमि मे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग सडक परिवहन का नेशलन हाईवे निकल जाने से जमीनो की कीमते बढ गयी व उक्त दोनो खसरान् भूमि में से 03 बिस्वा कृषि भूमि अवाप्त हुई उस दिन से लेकर गैरसायलान् मुख्य फन्ट की जमीन को लेकर नियत बद्ध हो गयी एवं जबरन मुख्य फ्रन्ट पर कब्जा करने पर आमादा है एवं सायल की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है। एवं सायल को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है सायल के हक हिस्से की भूमि पर वर्तमान में मेहन्दी की फसल बोयी हुई है। सायल ने गैरसायलान् को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 15/07/2019 को कहा तो गैरसायलान् स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं गैरसायलान् ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देंगे एवं सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे व फ्रन्ट की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर लेगे यदि गैरसायलान् अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं सायल को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगे तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढेगी। जिससे सायल खर्चे से जेर बार हो जायेगे। इसलिए सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधा व वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त कृषिभूमि का सायल खातेदार काश्तकार होने से एवं सायल का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है तथा मौके पर सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हरदृष्टिकोण से सायल के पक्ष में है यदि गैरसायलान् अपने नापाक मंसुबो मे सफल हो जाते है तो सायल को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा व वाद बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो दस्तावेजात एवं सायल का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग होने से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन हरदृष्टिकोण से सायल के पक्ष मे है इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बाबत् यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथपत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

के पद संख्या 01 वर्णित में से सायल अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य खड़ाई, बुवाई, कटाई, निराई, गुडाई, सिंचाई आदि करे या करावे तो उसमे गैरसायलान् उनके बाल-बच्चे, नोकर-चाकर, हाली एजेन्ट, रिश्तेदार-नातेदार आदि किसी प्रकार की दखल व दस्तन्दाजी एवं अडचन व्यवधान रोकटोक आदि तो स्वयं करे न ही करावे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के हमेशा-हमेशा के वास्ते रोका जावे व जब तक उक्त भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा नही हो जाता तब तक गैरसायलान् उक्त संयुक्त सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि नही करे एवं फ्रन्ट की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा नही करे तथा सायल को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करे तथा उक्त कृषि भूमि को खूर्द बुर्द नही करे परिवर्तन नही करे कच्चा-पक्का निर्माण नही करे मौके एवं राजस्व रेकर्ड की स्थिति को यथावत् बनाये रखने बाबत् जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान् को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलन को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सामिल मिसल है। गैरसायलान ने जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, सामिल मिसल है। गैरसायलान ने अपने जबाब प्रार्थना-पत्र में कथन किया कि प्रार्थना-पत्र का पद संख्या 1 गलत होने से अस्वीकार है। मुतनाजा जमीन में प्रार्थी का कोई किसी प्रकार का हक व खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है क्योकि प्रार्थी व अप्रार्थी सभी एक ही वंशज की सन्तान है सेटलमेन्ट के समय प्रार्थी के पिता व अप्रार्थीगण के पिता का नाम अलग-अलग खसरान में दर्ज कर दिया गया यानि मुतनाजा जमीन में खसरा नम्बर- 422 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर- 348/1 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी के पिता का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज कर दिया गया तथा खसरा नम्बर- 425 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा में भी अकेले प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य होने से अलग-अलग बंटवाड़ा मौके पर कब्जा अनुसार कर लिया प्रार्थी व अप्रार्थीगण की वंशावली जबाब प्रार्थना-पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंशावली अनुसार खसरा नम्बर- 422,348/1 व खसरा नम्बर- 425 प्रार्थी का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा आया हुआ है खसरा नम्बर- 425 रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा प्रार्थी के बन्ट में आया हुआ है तथा खसरा नम्बर 422 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर- 348/1 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा यानि 09 बीघा 11 बिस्वा अप्रार्थी के बन्ट में आया हुआ है इसी माफिक मौके पर सभी का अलग-अलग कब्जा काश्त आया हुआ है जो 30 वर्षो पहले बंटवाड़ा किया है मृतक रामलाल नन्दाराम का जायन्दा पुत्र था लेकिन नन्दाराम का भाई जोगाराम के कोई पुत्र नहीं होने से रामलाल को गोद लिया लेकिन गोद पुत्र अपनी पिता जोगाराम से पहले मर गया जोगाराम की चल व अचल सम्पति जरिए वसीयत दिनांक 19-8-19 मांगीलाल व मलाराम के नाम की गई। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(...) जैतारण (पाली)

संयुक्त परिवार में घर का मुख्या कर्ता होने से मुतनाजा जमीन के अलावा खसरा नम्बर– 425 में अपना अकेले का नाम दर्ज करवा लिया जो गलत है जबकि मौके पर तीनों भाईयों का 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त अलग–अलग ने अपने 1/3 हिस्से की जमीन खसरा चला आ रहा है प्रार्थी नम्बर– 425 रकबा 03 बीघा जमीन रूगाराम को बैचान कर रजिस्ट्री करवा दी अब प्रार्थी की नियत खराब हो गई जमीन की किमते बढने से प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज होने से खसरा नम्बर– 422, 348/1 में से भी 1/3 हिस्से की जमीन का बटवाड़ा करने का गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है खसरा नम्बर– 422,348/1 अप्रार्थीगण के हिस्से में व कब्जे में है जिसमें अप्रार्थीगण की मेहन्दी की फसल बोई हुई है जिसे बाबत अप्रार्थीगण काउन्टर वाद बाबत् घोषण का पेश कर दिया है प्रार्थी व अप्रार्थीगण के आपस में माठ को लेकर व खण्दक/मेड़बन्दी को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ प्रार्थी ने अपने वाद में गलत लिखा है खसरा नम्बर– 422 व 348/1 पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। क्योकि उक्त दोनो खसरान अप्रार्थीगण के बन्ट में आए हुए है इसलिए सीमा को लेकर विवाद होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन में मेहन्दी की फसल होने का लिखा जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या– 3 गलत होने से अस्वीकार है मुतनाजा भूमि खसरा नम्बर– 422 व 348/1 व खसरा नम्बर– 425 की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से खातेदारी की आई है केवल मात्र प्रार्थी के पिता का नाम घर का मुख्या (कर्ता) होने से प्रत्येक खसरा नम्बर में अपना नाम दर्ज करवा दिया और खसरा नम्बर– 425 में अपना अकेले का नाम दर्ज करवा दिया जबकि मुतनाजा तीनो खसरान में 1/3,1/3,1/3 में दर्ज करवाना था इसी माफिक मौके पर अलग खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त है प्रार्थी के बन्ट में खसरा नम्बर– 425 व अप्रार्थीगण के बन्ट में खसरा नम्बर– 422 व 348/1 आया हुआ है इसलिए प्रार्थी अब खसरा नम्बर– 422,348/1 का बंटवाड़ा कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का नाम हटाया जाना जरूरी है प्रार्थी ने अपने हिस्से में आई खसरा नम्बर– 425 का बैचान रूगाराम को 03 बीघा जमीन का कर देने से अब प्रार्थी की नियत खराब हो गई राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर– 425 में रोंग एन्ट्री का नाजायज फायदा उठाना चाहता है जब तक प्रार्थी के पिता जीवित थे तब तक संयुक्त परिवार में कोई विवाद नहीं था प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने पर प्रार्थी की नियत खराब हो गई और अप्रार्थी की हिस्से की जमीन पर दावे की रूह से कब्जा करना चाहता है जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है खसरा नम्बर– 422,348/1 में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से नाजायज फायदा उठाना चाहता है इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि का बंटवाड़ा नहीं करवा सकता प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 425 अपने हिस्से की जमीन पर आया हुआ है प्रार्थी ने उक्त वाद बंटवाड़ा [illegible] है जो काबिल खारिज के है प्रार्थी ग्राम चावण्डिया कलां का सरपंच [illegible] आपके काका के पुत्रों को परेशान करने के लिए झूठा वाद बंटवाड़ा का प्रार्थना पत्र पेश किया जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या– 5 गलत होने से अस्वीकार है जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

खसरा नम्बर 425 का बैचान करने के बाद प्रार्थी का उक्त आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा शेष नहीं रह जाता है इसलिए प्रथम दृष्टिया केस प्रार्थी के बनिस्पत अप्रार्थीगण के पक्ष में बहूत ही मजबूत है एवं मौका पर कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित है यदि प्रार्थी का नाम केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में रोग एन्ट्री के चल रहा है जिसके आधार पर बैचान रहन आदि कर देगा तो अप्रार्थीगण को असीम नुक्शान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति प्रार्थी किसी सूरत अदा नहीं कर सकेगा प्रार्थी की अब नियत खराब हो गई प्रार्थी ने झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज योग्य हैं। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन का बैचान कर दिया था एवं खसरा नम्बर 422,348/1 की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से कब्जा के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मय खर्चे खारिज फरमाया जावें।

वकील मय प्रतिवादीगण ने मूल वाद में काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर हस्तगत प्रार्थना–पत्र में काउन्टर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया, सा.मि. है। जिसके साक्ष्य में तथ्य इस प्रकार है। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने अपने प्रा.पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी के पिता मोती का नाम राजस्व रेकर्ड में खसरा नम्बर 422 व 348/1 में 1/3 हिस्से में दर्ज करवा दिया जो गलत है। खसरा नम्बर 422, 348/1, 425 तीनों खसरान की जमीन पैतृक पुश्तैनी शामलाती थी लेकिन खसरा नम्बर 425 में अप्रार्थी गलत इन्द्राज का फायदा उठाना चाहता है। प्रार्थीगण अनपढ गरीब काश्तकार है, तुलसाराम अप्रार्थी पढा लिखा पूर्व सरपंच है इसलिए प्रार्थीगण को तंग व परेशान करता है। अतः अप्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर बैचान, बख्शीश, हस्तान्तरण कर देगा तो प्रार्थीगण को असीम नुकसान होगा। अतः दरख्वास्त मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नम्बर 422 व 348/1 का बैचान, बख्शीश, रहन, हस्तान्तरण अप्रार्थी किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं करें यानि राजस्व रेकर्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

वकील मय वादी/अप्रार्थी ने काउन्टर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जबाब काउन्टर प्रार्थना–पत्र पेश किया, सा.मि. है। वादी/अप्रार्थी ने अपने जबाब काउन्टर प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि खसरा नम्बर 422 व 348/1 में अप्रार्थी तुलछाराम का 1/3 हिस्सा आता है एवं उसी अनुसार काबिज है। खसरा नम्बर 425 कृषि भूमि सामलाती नहीं होकर अप्रार्थी के पिता मोतीराम की थी जिसमें प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है। खसरा नम्बर 422 व 348/1 में वक्त सेटलमेण्ट से अप्रार्थी तुलछाराम जो कि मोतीराम का पुत्र है का 1/3 हिस्सा [illegible] तथा राजस्व रेकर्ड में भी 1/3 हिस्सा आता है। जबाब देहन्दा का कोई [illegible] बंटवाडा या लिखित बंटवाडा नहीं हो रखा है। प्रार्थीगण द्वारा [illegible] बिनाह दावा बताकर व गलत व काल्पनिक तारीख बताकर उक्त काउन्टर [illegible] व प्रार्थना–पत्र पेश किया जो म्याद

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

काल्पनिक तारीख बताकर उक्त काउन्टर वाद व प्रार्थना-पत्र पेश किया जो म्याद बाहर है क्योंकि उक्त प्रार्थना-पत्र की जानकारी दो साल पूर्व ही प्रार्थीगण को हो चुकी थी। गलत काउन्टर प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रार्थीगण अप्रार्थीके विरूद्ध किसी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है काउन्टर प्रार्थना-पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें।

उभयपक्ष बहस राजस्व प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-**

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम चावण्डिया के खसरा संख्या 422 रकबा 5-16 बीघा व खसरा संख्या 348/1 रकबा 3-15 बीघा जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित आराजी है। उक्त विवादित आराजी के कानूनन बंटवाड़ा बाबत् प्रार्थी की ओर से वाद दायर किया गया जिसमें अप्रार्थीगण ने घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् काउन्टर वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी का कथन है कि गैरसायलान/अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का कानूनन बंटवाड़े करवाये बिना ही उक्त आराजी का किसी अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तांतरण, रहन आदि कर देने एवं फ्रंट की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा करने की पूर्ण संभावना है। ऐसा करने पर प्रार्थी को अपने साम्पैतिक खातेदारी अधिकारों के उपभोग/उपयोग से महरूम होना पड़ेगा अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

वहीं अप्रार्थीगण के जवाब प्रा.पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थी ने अपने हिस्से की जमीन का बेचान कर दिया था तथा खसरा नम्बर 422, 348/1 की भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नहीं होने से प्रार्थी का प्रा. पत्र खारिज फरमावें। व अप्रार्थीगण ने अपने काउन्टर प्रा.पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थी खसरा नम्बर 422 व 348/ को बेचान, रहन, हस्तान्तरण किसी अजनबी व्यक्ति को न करें।

उभयपक्षकारान द्वारा प्रकट कथनों, तर्को एवं भू-अभिलेख यथा जमाबंदी संवत् 2074-77 ग्राम चावण्डिया के अवलोकन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त अविभाजित सह-खातेदारी कृषि भूमि है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह-खातेदारी आराजी में किसी भी खातेदार को अन्य खातेदार के विरूद्ध कोई अधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रत्येक सह-खातेदार को सामलाती सह-खातेदारी आराजी के प्रत्येक कण पर समान हक व अधिकार प्राप्त होते है। यदि वादग्रस्त आराजी के कानूनन बंटवारा या प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम का अंतिम रूप से निस्तारण से पूर्व यदि वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

भू–भाग का किसी अन्य को हस्तांतरण हो जाता है तो उससे निश्चित ही प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होगी। खातेदारान के लिए यह उचित होगा की वाद/काउन्टर वाद के अंतिम निस्तारण से पूर्व वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण न करें। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रत्येक सह–खातेदार के हक हिस्से तक साबित होता है।

2. सुविधा का संतुलनः–

पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सह–खातेदारी की अविभाजित आराजी है तथा ऐसी दशा में प्रत्येक सह–खातेदार को उसके उपयोग एवं उपभोग करने का समान अधिकार निहित होता है। साथ ही वादग्रस्त सयुक्त अविभाजित आराजी में सभी सह–खातेदारान को अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रत्येक सह–खातेदारान के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षतिः–

पूर्व विवेचित दोनो बिंदू सभी सह–खातेदारान के पक्ष में स्थापित हुए है। वादग्रस्त आराजी उभयपक्षकारान की संयुक्त अविभाजित आराजी है जिसके प्रत्येक सहखातेदार को अपने हक–हिस्से तक अपने खातेदारी अधिकारों के उपभोग एवं उपयोग का पूर्ण अधिकार होता है। यदि कोई सह–खातेदार अपने हक–हिस्से से अधिक और अन्य सह–खातेदार के हक–हिस्से का जबरन उपभोग/उपयोग करता है तो इससे अन्य सहखातेदारान को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना रहती है चाहे वह प्रार्थी हो या अप्रार्थीगण। अतः यह बिंदू भी सभी सहखातेदारान के पक्ष में उनके हक–हिस्से तक साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिंदू प्रत्येक सह–खातेदार के पक्ष में उनके हक हिस्से तक साबित होता है अतः हस्तगत प्रकरण में हम <u>उभयपक्षकारान</u> को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी एवं काउन्टर प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। <u>उभयपक्षकारान</u> को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी [illegible] मौजा सरहद मौजा ग्राम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया कलां [illegible] क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे सायर [illegible] संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि [illegible] खसरा नम्बर 422 रकबा 5 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

16 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 348/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 08/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:01:45 IST
Reason: SelfAttested